

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

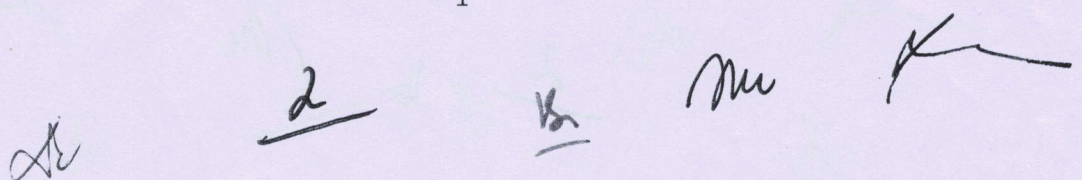
:: दिनांक 15.07.2021 को सम्पन्न हुई खुला बंदी शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 15.07.2021 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, सदस्य
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, सदस्य सचिव
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर।
4. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

निम्न 07 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक
राजू उर्फ दीपक नाथ पुत्र बैजनाथ	के.का. जयपुर	1221/2021	06.07.2021
श्रीमती मनोहरी देवी उर्फ सुशीला पत्नी कैलाश	म.बं.सु.गृ. जोधपुर	339/2021	16.06.2021
दीपक पुत्र मदनलाल	के.का. जोधपुर	359/2021	28.06.2021



रामेश्वरी उर्फ बीबा पत्नी संतोष कुमार	म.बं.सु.गृ. जोधपुर	340/2021	16.06.2021
तेजाराम पुत्र भंवरूराम	के.का. जोधपुर	282/2021	16.06.2021
कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्रवण कुमार शर्मा	के.का. जयपुर	1249/2021	06.07.2021
नीरज जैन पुत्र विरेन्द्र कुमार जैन	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	1230/2021	06.07.2021

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. राजू उर्फ दीपकनाथ पुत्र बैजनाथ, के.का. जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 11 वर्ष 01 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 16.04.2020 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर समिति द्वारा “बंदी को प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने के कारण बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

वर्तमान में बंदी द्वारा प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध 11 वर्ष 01 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के पूर्ण की जा चुकी है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी राजू उर्फ दीपकनाथ पुत्र बैजनाथ को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. महिला बंदी श्रीमती मनोहरी देवी उर्फ सुशीला पत्नी कैलाश, म.बं.सु.गृ. जोधपुर

महिला बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

महिला बंदी द्वारा 02 नियमित पैरोल का शांतिपूर्वक उपभोग किया गया है तथा अधीक्षक जेल ने महिला बंदी का कारागृह में आचरण संतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवृंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से महिला बंदी श्रीमती मनोहरी देवी उर्फ सुशीला पत्नी कैलाश को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. दीपक पुत्र मदनलाल, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय ए.सी.जे.एम.-04, जोधपुर के प्रकरण संख्या 37/2019 में विचाराधीन है, जिसमें बंदी जमानत पर है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बंदी के माननीय ए.सी.जे.एम.-04, जोधपुर के विचाराधीन प्रकरण संख्या 37/2019 के निस्तारण के पश्चात् बंदी दीपक पुत्र मदनलाल को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

2. कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्रवण कुमार शर्मा, के.का.जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 06 वर्ष 11 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

वर्तमान में बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 06 वर्ष 11 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है तथा बंदी खुला शिविर समिति द्वारा विचार किये गये अंतिम बंदी द्वारा संदर्भित दिनांक तक 08 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है तथा बंदी से वरिष्ठ कई बंदी अभी कारागृह में सजा भुगत रहे हैं।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई वरियता सूची में बंदी का नाम वरियता क्रमांक 877 पर है तथा वर्तमान में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 500 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्रवण कुमार शर्मा के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर विचार कर वरियता में अत्यधिक नीचे होने के कारण बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा।

3. रामेश्वरी उर्फ बीबा पत्नी संतोष कुमार, म.बं.सु.गृ. जोधपुर

महिला बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 06 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई वरियता सूची में महिला बंदी के उक्त तिथि को खुला बंदी शिविर हेतु निर्धारित पात्रता (06 वर्ष 08 माह) अर्जित नहीं होने के कारण महिला बंदी का नाम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है तथा खुला बंदी शिविर हेतु लम्बित कुल 1016 प्रकरणों में वर्तमान में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 500 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा वरियता में नहीं आने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से महिला बंदी रामेश्वरी उर्फ बीबा पत्नी संतोष कुमार को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया। वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा।

4. तेजाराम पुत्र भंवरूराम, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 05 वर्ष 11 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई वरियता सूची में बंदी के उक्त तिथि को खुला बंदी शिविर हेतु निर्धारित पात्रता (06 वर्ष 08 माह) अर्जित नहीं होने के कारण बंदी का नाम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है तथा खुला बंदी शिविर हेतु लम्बित कुल 1016 प्रकरणों में वर्तमान में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 500 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सका है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा वरियता में नहीं आने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी तेजाराम पुत्र भंवरूराम को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया। वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा।

5. नीरज जैन पुत्र विरेन्द्र कुमार जैन, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 06 वर्ष की सजा मय परिहार के भुगती है।

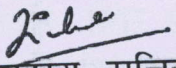
बंदी खुला शिविर हेतु कारागृहों से प्राप्त प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में तैयार की गई। वरियता सूची में बंदी के उक्त तिथि को खुला बंदी शिविर हेतु निर्धारित पात्रता (06 वर्ष 08 माह) अर्जित नहीं होने के कारण बंदी का नाम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है तथा खुला बंदी शिविर हेतु लम्बित कुल 1016 प्रकरणों में वर्तमान में रिक्तियों के आधार पर क्रम संख्या 01 से 500 तक के खुला बंदी शिविर प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा चुका है।

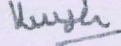
उक्त के अतिरिक्त राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 6 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में पात्र बंदियों को वरिष्ठता क्रम में भेजे जाने का प्रावधान है।

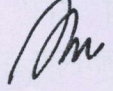
अतः बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा वरियता में नहीं आने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी नीरज जैन पुत्र विरेन्द्र कुमार जैन को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने

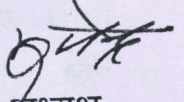
का निर्णय लिया गया। वरियता में आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा।


सदस्य
सहायक निदेशक
(परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य सचिव
उप
महानिरीक्षक
कारागार,
रेंज, जयपुर।


सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक
एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।